परिवहन विभाग ''नेक नागरिक पुरस्कार योजना'' मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP)

परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि में कमी लाये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा कोष में प्राविधानित धनराशि में से रूपये 5.00 लाख की धनराशि गुड समेरिटन के प्रचार–प्रसार एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतीक चिन्ह/प्रमाणपत्र यथा–घड़ी/मग/मोमेन्टो आदि के लिए स्वीकृत की गई है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष परिवहन विभाग द्वारा ''नेक नागरिक पुरस्कार योजना'' में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वाले मददगार व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाना है। अतः विभाग द्वारा Good Samaritan (नेक नागरिक) को प्रोत्साहित किये जाने हेतु निम्नवत् मानक प्रचालन प्रक्रिया निर्गत की जाती है:–

1. **योजना का उद्देश्य–** परिवहन विभाग नेक नागरिक पुरस्कार योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना तथा सड़क दुर्घटना से होने वाली जनहानि को कम करना है।

2. **योजना का प्रारम्भ एवं विस्तार–** उक्त योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी।

3. **प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार–** योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति को नकद धनराशि के अतिरिक्त एक स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। नकद देय धनराशि की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी:–

राज्य स्तर पर चयनित व्यक्तियों हेतु–

प्रथम पुरस्कार	10,000 रूपये तक की धनराशि
द्वितीय पुरस्कार	5,000 रूपये तक की धनराशि
तृतीय पुरस्कार	3,000 रूपये तक की धनराशि

संभाग स्तर पर चयनित व्यक्तियों हेतु–

प्रथम पुरस्कार	5,000 रूपये तक की धनराशि
द्वितीय पुरस्कार	3,000 रूपये तक की धनराशि
तृतीय पुरस्कार	2,000 रूपये तक की धनराशि

File No. TCOUK-RS01-8/26/2024-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 70070)
Generated from eOffice by MAHESH SINGH, TCO-SA-MAHESH.SINGH, SENIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 23/12/2024 12:20 pm

4. **नेक नागरिक पुरस्कार हेतु पात्रताः**

(1) सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद कर पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक हो।

(2) भारत सरकार/राज्य सरकार के सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारी तथा स्कूल कॉलेजों के छात्र–छात्राएं एवं आम नागरिक (मददगार व्यक्ति) भी उक्त पुरस्कार हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(3) किसी व्यक्ति के आवेदन न करने की स्थिति में उसके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा स्वतः भी संज्ञान लेकर पात्र व्यक्ति के नाम की संस्तुति की जा सकती है।

(4) इसी प्रकार राज्य स्तर के पुरस्कार हेतु अध्यक्ष, लीड एजेन्सी द्वारा स्वतः भी संज्ञान लेकर पात्र व्यक्ति के नाम की संस्तुति की जा सकती है।

5. **नेक नागरिक नामांकन हेतु पात्र व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य–** यदि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्यों में से कोई एक कार्य किया जाता है तो वह नेक नागरिक पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकता हैः–

1) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना।
2) सड़क दुर्घटना के घायल व्यक्ति/व्यक्तियों का राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना।
3) सड़क दुर्घटना में घायल/चोटिल व्यक्ति को एम्बुलेंस की उपलब्धता न होने की स्थिति में वैकल्पिक वाहन से अस्पताल पहुँचाना।
4) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान करना।

6. **आवेदन प्रक्रिया–** Good Samaritan (नेक नागरिक) द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति/व्यक्तियों के सहायता के सम्बन्ध में किये गये कार्य के लिए पुरस्कार प्राप्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में जनपद के सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों को

2

ऑनलाईन/आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगेः–

(1) पीड़ित की सहायता से सम्बन्धित तथ्य पेपर कटिंग, सोशल मीडिया स्क्रीन शॉट, फोटो/ वीडियो आदि (यदि उपलब्ध हो तो)
(2) पहचान पत्र
(3) निवास प्रमाण पत्र
(4) पुलिस/परिवहन विभाग द्वारा प्रमाणन
(5) अस्पताल द्वारा प्रमाणन

7. **चयन समिति–** नेक नागरिक पुरस्कार योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा 02 स्तरों पर व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर चयन समिति द्वारा पुरस्कार की धनराशि का निर्धारण किया जाएगा।

(1) राज्य स्तर पर पुरस्कार हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय में निम्नवत् चयन समिति होगीः–

एक–	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
दो–	संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव
तीन–	परिवहन आयुक्त द्वारा नामित 02 अधिकारी जो सहायक परिवहन आयुक्त से निम्न स्तर के न हों	सदस्य

(2) संभाग स्तर पर पुरस्कार हेतु प्रत्येक संभाग के मुख्यालय पर निम्नवत् चयन समिति होगीः–

एक–	संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा	अध्यक्ष
दो–	अध्यक्ष द्वारा नामित 02 अधिकारी, जो परिवहन कर अधिकारी से निम्न स्तर के न हों	सदस्य

8. **चयन प्रक्रिया एवं पुरस्कार वितरण–**

(1) संभाग स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा संभाग के अन्तर्गत नेक नागरिक पुरस्कार हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी और उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों का चयन किया जायेगा।

(2) संभाग स्तर पर गठित चयन समिति की प्रत्येक त्रैमास में कम से कम 01 बैठक अनिवार्य रूप से आहूत की जाएगी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर एक से अधिक बैठकों का आयोजन भी किया जा सकता है।

3

(3) चयनित Good Samaritan (नेक नागरिक) व्यक्ति को पुरस्कार की धनराशि, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र चयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सार्वजनिक रूप से प्रदान किया जायेगा।

(4) राज्य स्तर पर पुरस्कार के चयन के लिए संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा नाम की संस्तुति सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति को समय–समय पर प्रेषित की जाएगी।

(5) राज्य स्तर पर गठित चयन समिति की प्रत्येक 06 माह में कम से कम 01 बैठक अनिवार्य रूप से आहूत की जाएगी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर एक से अधिक बैठकों का आयोजन भी किया जा सकता है।

(6) राज्य स्तर पर चयनित व्यक्ति को पुरस्कार की धनराशि, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र चयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त विभागीय नेक नागरिक पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम किया जा सकता है तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तुरन्त सहायता प्राप्त होने के साथ ही आमजनमानस में परिवहन विभाग का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(बृजेश कुमार सन्त)
परिवहन आयुक्त।

4

''नेक नागरिक पुरस्कार योजना'' हेतु आवेदन प्रपत्र

व्यक्तिगत विवरण	
आवेदक नेक नागरिक का नाम	
मोबाइल नम्बर	
पता	
दुर्घटना स्थल का नाम	
दुर्घटना का दिनांक एवं समय	
पुलिस/परिवहन विभाग द्वारा प्रमाणीकरण	
पुलिस स्टेशन/परिवहन कार्यालय का नाम (पता सहित)	
संबंधित थाने के अधिकारी/सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी का नाम एवं मो0न0	
घटना का विवरण (नेक व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य का विवरण, जिससे पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने में मदद मिली, यह भी पुष्टि करें कि नेक व्यक्ति द्वारा गोल्डन ऑवर के निर्धारित समय के भीतर सहायता प्रदान की गई थी)	
अस्पताल द्वारा प्रमाणीकरण	
डॉक्टर का नाम जिसने सबसे पहले इलाज किया था (अस्पताल के नाम और पते के साथ)	
अस्पताल प्रमुख (एमडी/निदेशक/अधीक्षक आदि) नाम और मो0न0	
क्या नेक नागरिक द्वारा दुर्घटना के गोल्डन ऑवर के भी घायल व्यक्ति को सहायता प्रदान की गई (संक्षिप्त विवरण)	
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित)	

दिनांक:
स्थान:

नामः ....
हस्ताक्षर ....

5

प्रशस्ति पत्र का आलेख

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

प्रशस्ति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. निवासी .... द्वारा दिनांक .... को घटित सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता कर मानवता का परिचय दिया गया। आपकी त्वरित और निःस्वार्थ सहायता ने दुर्घटना पीड़ित की जान बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपके इस सराहनीय कार्य ने न केवल समाज की सेवा की, बल्कि दूसरों को भी इसी प्रकार के मानवीय कार्यों के लिए प्रेरित किया है। आपकी इस उत्कृष्ट सेवा के लिए हम हृदय से आभारी हैं।

हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार समाज के प्रति अपनी सेवा और समर्पण को बनाए रखेंगे।

दिनांक ....

स्थान ....

....
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

6